कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, राँची
e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01 / यो0बजट–42 / 2017– 265 **दिनांक :** 27-03-19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा / चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा / मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन संवाद एवं लोकायुक्त द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन हेतु **रू0 227042.40 (दो लाख सताईस हजार बयालीस रूपये चालीस पौसे)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–22 / 2018–63 / स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 11.03.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–22 / 2018–113 / आ0 व0प0 दिनांक 26.03.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–58 अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 227042.40 (दो लाख सताईस हजार बयालीस रूपये चालीस पौसे) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101580103	227042.40
कुल :–		**227042.40**

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन संवाद एवं लोकायुक्त द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन के क्रम में विभिन्न वन प्रमण्डलों के अंतर्गत पूर्व में किये गये कार्यों से संबंधित मजदूरों के लंबित मजदूरी भुगतान हेतु **रू0 227042.40 (दो लाख सताईस हजार बयालीस रूपये चालीस पौसे)** मात्र का उप आवंटन प्रमण्डलवार निम्नवत की जाती है :–

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	मजदूर का नाम	कार्य स्थल का नाम	कार्य विवरण	मजदूरी की अवधि	बकाया राशि (रू0 में)
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	श्री विरेन्द्र सिंह	सिरिया	पशुरक्षक	एक वर्ष	45408.48
2		श्री चन्द्रदेव यादव	महुवरी	पशुरक्षक	एक वर्ष	45408.48
3		मो0 इजराईल अंसारी	कल्यापुर / शेरद	पशुरक्षक	एक वर्ष	45408.48

4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	श्री रामफल सिंह	करमा	पशुरक्षक	एक वर्ष	45408.48
5	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	श्री बनवारी उराँव	तेनार पी0एफ0	संपोषण कार्य	एक वर्ष	45408.48
	योग :–					**227042.40**

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय इस कार्यालय को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–1** पर द्रष्टव्य है।

4. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19S240601101580103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बकाया मजदूरी का भुगतान संबंधित मजदूरों को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि मुख्यमंत्री जन संवाद एवं लोकायुक्त द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह दायित्व सुनिश्चित करेंगे कि पूर्व में स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा ।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–42/2017–** 265 दिनांक– 27-03-19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/ मेदिनीनगर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–42/2017–** 265 दिनांक– 27-03-19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/चतरा/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-42/2017/265 दिनांक - 27-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	106288	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	136,225.00 रुपये एक लाख छत्तीस हजार दो सौ पच्चीस
2	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	106291	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	45,408.00 रुपये पैतालीस हजार चार सौ आठ
3	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	106293	PLMFOR070 KUMAR ASHISH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	45,408.00 रुपये पैतालीस हजार चार सौ आठ

योग: 227,041.00

क्रमिक योग: रुपये दो लाख सत्ताइस हजार इकतालीस

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.150.21 Run Date : [illegible]